न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांचौर, जिला—जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2022 जीसीएमएस वाद संख्या 2022/41

वादी

रघुनाथाराम पुत्र इसराराम जाति विश्नोई निवासी, पांचला तहसील सांचौर जिला जालोर।

प्रतिवादी

1. इसराराम पुत्र रिड़मलराम जाति विश्नोई निवासी, पांचला तहसील सांचौर।
2. भूमिधारी, तहसीलदार सांचौर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता, आदेश 1 नियम 9 सिविल प्रकिया संहिता

उपस्थिति :—

1. श्री इब्राहीम शाह, अमजद खान, अधिवक्ता वादी।
2. श्री भगवती प्रसाद, श्री चेतन कुमार, श्री सुरेश पुरोहित अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3. प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से नायब तहसीलदार सांचौर उपस्थित।

—:निर्णयः—

दिनांकः— 16.03.2026

1. प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता ने अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता, आदेश 1 नियम 9 सिविल प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया गया वकील प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादी द्वारा अपने वाद के पैरा सतथ्य को स्वीकार किये है तथा उक्त निर्णय की वादी द्वारा वाके सरहद मौजा पांचला में खेत खसरा संख्या 1012/135, 1013/136, 138 में पुश्तैनी बताकर खातेदारी हक व बंटवाड़ा का वाद पेश किया है किन्तु प्रतिवादी इसराराम के तीन पुत्र जगदीश कुमार, रघुनाथाराम व सुरेश है तथा तीन पुत्रीया मोहनीदेवी, समादेवी व सुमनदेवी है तथा धर्मपत्नी चौथीदेवी होने के बावजूद वादी ने जगदीश कुमार, सुरेश, मोहनीदेवी, समादेवी, सुमनदेवी को उक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाया है तथा वादग्रस्त आराजी पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सांचौर के बैक मे रहन होने बावजूद उन्हे पक्षकार नहीं बनाया है जबकी कानून की मंशानुसार प्रत्येक सहखातेदार का पक्षकार संयोजित करना आवश्यक है, ऐसी सूरत में वादी द्वारा पेश वाद पूर्णतया विधि विरुद्व होने खारिज फरमावें।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

2. वकील वादी ने उक्त तथ्यों का घोर विरोध करते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि वादपत्र में वादग्रस्त आराजी अकेले ईसराराम के राजस्व रेकर्ड में दर्ज है तथा वादी पुश्तैनी सम्पति का वाद पेश किया होने से उन्हे पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रतिवादी की ओर से पेश प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से खारीज फरमावें।

3. हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का भली – भांति अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रकरण में वादी की ओर से प्रस्तुत वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी का अवलोकन एवं अध्ययन किया। वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबंदी से स्पष्ट जाहिर है कि उक्त वादग्रस्त आराजी बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सांचौर में रहन है तथा प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अनुसार ईसराराम के अन्य वारिशान जगदीश कुमार, सुरेश, मोहनीदेवी, समादेवी, सुमनदेवी, चौथीदेवी को वादी ने पक्षकार संयोजित नहीं कर सिर्फ ईसराराम को पक्षकार बनाया है इस प्रकार उक्त वादग्रस्त आराजी में सभी पक्षकारो का हित निहित है।

4. इस प्रकार सिविल प्रकिया संहिता के आदेश 1 नियम 9 के अनुसार कुसंयोजन और असंयोजन कोई भी वाद पक्षकारों के कुसंयोजन या अंसंयोजन के कारण विफल नहीं होगा और न्यायालय हर वाद में विवादग्रस्त विषय का निपटारा वहां तक कर सकेगा जहां तक उन पक्षकारों के जो उसके वस्तुतः समक्ष है, अधिकारों और हितों का सम्बन्ध है परन्तु इस नियम की कोई बात किसी आवश्यक पक्षकार के असंयोजन को लागू नहीं होगी। अर्थात सिविल प्रकिया संहिता के अनुसार आवश्यक पक्षकार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।

5. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के अनुसार वादपत्र निम्नालिखित दशाओं में नामंजूर कर दिया जायेगा।

(क) जहां वह वाद हेतुक प्रकट नही करता है।

(ख) जहां वादकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन का ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने मे असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्आम्प पत्र के देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है, ऐसा करने मे असफल रहता है।

(घ) जहां वादपत्र के कथन से यह प्रतित होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

6. इस प्रकार सिविल प्रकिया के आदेश 1 नियम 9 की नहीं कर बैंक व ईसराराम के अन्य वारिशान (पुत्र, पुत्रीया व पत्नी) को आवश्यक पक्षकार होने के बाद भी पक्षकार संयोजित नहीं किया गया है अतः यह वाद विधि द्वारा वर्णित होने से खारिज योग्य है।

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र और राजस्व रेकर्ड से स्पष्ट है कि भूमि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा सांचौर में रहन है तथा वादी ने पुश्तैनी भूमि बताकर उक्त वाद प्रतिवादी ईसराराम के विरुद्व पेश किया है परन्तु ईसराराम के अन्य वारिशान को वादी ने पक्षकार नहीं बनाया है। इस प्रकार यह निश्चय कने के लिये कोई व्यक्ति एक आवश्यक पक्षकार है या नहीं, सही मापदण्ड निर्धारित करते हुए (1) ए.आई.आर. 1953 सु.को.521 (2) ए.आई.आर. 1963 इलाहाबाद 126 (पूर्णपीठ) (3) आर.आर.डी. 1955 पेज 751 में निर्धारित किया गया है कि –

(1) कोई व्यक्ति आवश्यक पक्षकार है या नहीं–सही मापदण्डः– उस कार्यवाही में अर्न्तकलित मामले के बारे में ऐसे पक्षकार के विरूद्ध कोई अनुतोष प्राप्त करने के लिए आधिकार हो, और ऐसे पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई प्रभावपूर्ण डिक्री पारित करना संभव नहीं हो। ये दानों पूरे होने आवश्यक है।

(2) खातेदारी अधिकार की घोषणा के लिए वादः– सह काश्तकार के पक्षकार बनाये बिना डिक्री पारित नहीं की जा सकती। खातेदारी हकों की घोषणा के दावे में राज्य सरकार एक आवश्यक पक्षकार है। (डिक्रीयों व आदेश किए गए)

7. इस प्रकार उपर्युक्त वाद में बैंको का हित निहित होने व बैंको की अनुपस्थिति में कोई प्रभावपूर्ण डिक्री पारित करना संभव नही होने से वादी का वाद विधि से वर्जित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता, आदेश 1 नियम 9 सिविल प्रकिया संहिता बखूबी साबित होने से हम इसे स्वीकार करना उचित समझते है।

–:आदेशः–

अतः उपर्युक्त विवेचनानुसार प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सिविल प्रकिया संहिता सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता, आदेश 1 नियम 9 सिविल प्रकिया संहिता का साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं वादपत्र वादी का धारा 53, 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार (नामंजूर) किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

प्रमोद कुमार आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)

निर्णय आज दिनांक 16.3.2026 को सर – ए – इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी सांचौर
सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी सांचौर)